प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची ।

(प) वन एंव पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष तथा इस विभाग से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार के सलाहकार होंगे । इनका मुख्यालय राँची में यथावत रहेगा ।

(पप) विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित मामले, जिनपर राज्य सरकार का निर्णय या ओदश वांछित होगा, इनके माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किये जाएगें ।

(पपप) वन एवं पर्यावरण विभाग के अन्य सभी कार्यालय राज्य सरकार का सचिवालय छोड़कर इनके अधीन होंगे ।

(पअ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड कार्यालय में स्थित वन संरक्षक, मुख्यालय की स्थापना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड की स्टाफ–स्थापना होगी जिनके अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, निदेशन एवं प्रशासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय की वर्तमान स्थापना यथावत् रुप में कार्यरत रहेगी ।

नोटः–(क) विभाग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों की इस सूची में जो विषय अंकित नहीं है, वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के अधीन होगें ।

(ख) विभाग के नीतिगत विषयों पर सभी अधीनस्थ कार्यालय–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के परामर्श के कार्य करेंगे।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड बंजर भूमि विकास बोर्ड, राँचीः–

(प) राज्य मे बंजर भूमि एवं गैर वन भूमि के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन उनके नियंत्रण में होगा ।

(पप) ऐसी योजनाओं से संबंधित संलेख अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड राँची के माध्यम से स्वीकृत्यादेश प्राप्ति हेतु राज्य सरकार को समर्पित किये जायेंगे । योजना स्वीकृति के पश्चात् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा निधि का आवंटन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सह कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड बंजर भूमि विकास बोर्ड को किया जायेगा । यहाँ से निधि का आवंटन संबंधित कार्यालयों को किया जायेगा ।

(पपप) वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत ''नोडस पदाधिकारी'' होंगे ।

(पअ) विभाग से संबंधित वाह्य सम्पोषित योजनाओं म्गजमतदंससल ।पकमक च्तवरमबजे का क्रियान्वयन इनके नियंत्रण में होगा । इन योजनाओं की स्वीकृति तथा निधि आवंटन की वही व्यवस्था रहेगी जो अपर कंडिका– पप में विहित है ।

(पअ) राज्य का औषधीय पादप बोर्ड (डमकपबपदंस च्संदज ठवंतक) इनके अधीन यथावत् कार्यरत रहेगा ।

(अप) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के समकक्ष वित्तीय शक्तियॉ प्रत्यायोजित रहेंगी ।

(अप) भारत सरकार की वन विकास अधिकरण (थ्वतमेज क्मअमसवचउमदज ।हमदबल) योजना का क्रियान्वयन इनके नियंत्रण में होगा ।

(अपप) बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के अंतर्गत विभागाघ्यक्ष होंगे और इनका मुख्यालय, राँची में यथावत् रहेगा ।

(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण और मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची ।

(प) वन्य प्राणी संरक्षण, अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक होंगे ।

(पप) राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के जैव विविधता संरक्षण एवं वन्य प्राणि संभाग से संबंधित सभी कार्यालय इनके अधीन होंगे ।

(पपप) राज्य में वन्य प्राणी से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन इनके नियंत्रण में होगा । ऐसी योजनाओं से संबंधित संलेख अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के माध्यम से स्वीकृत्यादेश प्राप्ति हेतु राज्य सरकार को समर्पित किये जायेंगे । योजना स्वीकृति के पश्चात् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा निधि का आवंटन प्रधान मुख्य वन संरक्षक जैव विविधता संरक्षण और मुख्य वन्य प्राणी

प्रतिपालक, झारखण्ड को किया जायेगा । यहाँ से निधि का आवंटन मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी को या संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों (यदि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी किसी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के अधीन है तो) किया जायेगा और व्यय का अनुश्रवण किया जायेगा ।

(पअ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के समकक्ष वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित रहेंगी ।

(अ) बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष होंगे और इनका मुख्यालय राँची होगा ।

(अप) इनकी अधीनस्थ कार्यालय स्थापना इस अधिसूचना के अनु०–1 में विहित है ।

(अपप) **इनके नियंत्रण में विभाग की वन्य प्राणी एवं जैव विविधता से संबंधित संगठन की संरचना निम्न होगीः–**

(क) मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्रणाी एवं जैव विविधता झारखण्ड, राँचीः–

(ए) वर्तमान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पद को मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं जैव विविधता, झारखण्ड, राँची के पद के रुप में पुनर्नामांकित किया जाता है ।

(बी) बिहार सेवास संहिता के नियम–21 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष होंगे और इनका मुख्यालय राँची में यथावत् रहेगा ।

(सी) इनके अधीन निम्न स्थापनायें होंगीः–

(प) **वन संरक्षक–सह–निदेशक, हाथी परियोजना, जमशेदपुर :–** यह नया पद है । इसका मुख्यालय जमशेदपुर होगा । राज्य में स्थापित गज–आरक्ष तथा हाथी परियोजना से संबंधित सभी कार्य सिंहभूम रीजन में कार्यरत संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडलो की स्थापनओं की सहायता से ये करेंगे । इनकी अधीनस्थ कार्यालय स्थापना इस अधिसूचना की अनु०–5 में विहित है ।

(पप) **वन संरक्षक–सह–क्षेत्र निदेशक, ब्याघ्र परियोजना पलामू :–** इसका वर्तमान कार्य़क्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा जिसके अधीन निम्न दो स्थापनायें कार्यरत होंगी ।

(अ) वन संरक्षक, बफर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, डाल्टेनगंज :–

(प) यह पद वर्तमान वन प्रमंडल पदाधिकारी, डाल्टेनगंज दक्षिणी वन प्रमंडल, डाल्टेनगंज के पद को अस्थायी रुप से उत्क्रमित करके सृजित किया गया है ।

(पप) फलतः वर्तमान डाल्टेनगंज दक्षिणी वन प्रमडंल, डाल्टेनगंज को बफर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, डाल्टेनगंज के रुप में पुनर्नामांकित किया जाता है जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय–प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होगें । इसका कार्य़क्षेत्र वही रहेगा जो वर्तमान में डाल्टेनगंज दक्षिणी वन प्रमंडल का है ।

(पपप) वन संरक्षक, बफर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, डाल्टेनगंज की अधीनस्थ स्थापना यथावत् रुप में वही रहेगी जो वर्तमान में वन प्रमंडल पदाधिकरी, पलामू ब्याघ्र परियोजना प्रमंडल, डाल्टेगनंगज की अधीनस्थ स्थापना के रुप में विद्यमान है ।

(ब) वन संरक्षक, कोर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, डाल्टेनगंज :–

(प) यह पद वर्तमान वन प्रमंडल पदाधिकारी, पलामू ब्याघ्र परियोजना प्रमंडल, डाल्टेनगंज के पद को अस्थायी रुप से उत्क्रमित करके सृजित किया गया है ।

(पप) फलतः वर्तमान पलामू ब्याघ्र परियोजना प्रमंडल, डाल्टेनगंज को कोर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, डाल्टेनगंज के रुप में पुनर्नामांकित किया जाता है जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय–प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे । इसका कार्यक्षेत्र वही रहेगा जो वर्तमान में पलामू ब्याघ्र परियोजना प्रमंडल, डाल्टेनगंज का है ।

(पपप) वन संरक्षक, कोर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, डाल्टेनगंज की अधीनस्थ स्थापना यथावत् रुप में वहीं रहेगी जो वर्तमान में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पलामू ब्याघ्र परियोजना प्रमंडल, डाल्टेनगंज की अधीनस्थ स्थापना के रुप में विद्यमान है ।

(पअ) **वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, राँची :–** इनकी वर्तमान स्थापना यथावत् रहेगी तथा इनके नियंत्रण में निम्न स्थापनायें कार्यरत होंगी–

(अ) वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(ब) वन्य प्राणी प्रमंडल, हजारीबाग–इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(अ) **वन संरक्षक एवं निदेशक, विरसा मुण्डा जैविक उद्यान, राँची :–** यह पद वर्तमान निदेशक, विरसा मुण्डा उद्यान, राँची के पद को उत्क्रमित करके बनाया गया है । इस जैविक पार्क के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे । इस उत्क्रमित पद की अधीनस्थ स्थापना वही रहेगी जो वर्तमान में निदेशक, बिरसा मुण्डा जैविक उद्यान, राँची की है ।

(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची :–

(प) यह पद वर्तमान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के पद को उत्क्रमित कर के बनाया गया है । इस उत्क्रमिता पद के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होगें । इस उत्क्रमित पद की अधिनस्थ कार्यालय स्थापना वही होगी जो वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड की है ।

(पप) राज्य का केन्द्र योजना मद के अंतर्गत सभी योजनाओं का सूत्रण, सरकार को समर्पण करना तथा राज्य सरकार से स्वीकृत्यादेश प्राप्त करना इनका दायित्व होगा ।

(पपप) राज्य में ये याजनाऍं इनके नियंत्रण में क्रियाविन्त की जाएगी तथा राज्य सरकार से स्वीकृत्यादेश निर्गमन के बाद संबंधित निधि का आवंटन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, जे०एफ०एम० तथा अनुश्रवण, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास या सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन सरंक्षकों/संबंधित कार्यालयों को किया जायेगा ।

(पअ) बंजर भुमि तथा गैर वन भूमि संबंधित योजनओं, वाहय सम्पोषित योजनओं तथा वन्य प्राणी से संबंधित योजनाओं के संबंध में उन दायित्व का निर्वहन करेंगे जो ऊपर कंडिका 2 (पप) 2 (पप) तथा 3 (पपप) में विहित है ।

(अ) विभाग का वार्षिक योजना बजट तथा सी०ओ०बी०टी० इनके द्वारा राज्य सरकार को समर्पित किया जायेगा । इस कार्य हेतु सभी कार्यालय अपनी अपनी आवश्यकताओं/योजनाओं से इन्हें अवगत करायेगें ।

(अप) राज्य में विकास कार्य वनरोपण एवं गैर वनरोपण हेतु से संबंधित कार्यो के लिए भिड्यूल ऑफ रेट का निर्धारण करेगें ।

(अपप) बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष होंगे और इनका मुख्यालय राँची होगा ।

(अपपप) **इनके अधीन निम्न स्थापनाये कार्यरत होगी :–**

(क) मुख्य वन संरक्षक, विकास जनजातीय क्षेत्र, झारखण्ड, राँची :–

(प) राज्य के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के सूत्रण इनके द्वारा किया जायेगा ।

(पप) बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष होंगे ।

(पपप) इनकी अधिनस्थ स्थपना इस अधिसूचना के अनुलग्नक–1 में विहित है ।

(पअ) इनके अधीन वन संरक्षक, योजना राँची की स्थापना कार्यरत होगी । यह पद वर्तमान उप वन संरक्षक, मूल्यांकन–सह–योजना कोषांग, राँची के पद को अस्थायी रुप से उत्क्रमित करके सृजित किया गया हैं । इस उत्क्रमित पद की अधीनस्थ स्थापना यथावत् रुप में वही रहेगी जो वर्तमान में उप वन संरक्षक, मूल्यांकन–सह–योजना कोषांग, राँची की है । इस स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय–प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे जो राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लिये योजनाओं के सूत्रण आदि संबंधित विषयों पर मुख्य वन संरक्षक, विकास जनजातीय क्षेत्र, राँची की सहायता करेंगें ।

(ख) **मुख्य वन संरक्षक, विकास गैर जनजातीय क्षेत्र झारखण्ड, राँचीः–**

(प) राज्य के गैर जनजातीय क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का सूत्रण करेगें ।

(पप) बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष होगें ।

(पपप) इनकी अधीनस्थ स्थापना इस अधिसूचना के अनुलग्नक–1 में विहित है ।

(पअ) इनके अधीन उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची की वर्तमान स्थपना यथावत् रुप में कार्यरत रहेगी जो राज्य के गैर जनजातीय क्षेत्र के लिये योजनाओं के सूत्रण आदि संबंधित विषयों पर मुख्य वन संरक्षक, विकास और जनजातीय क्षेत्र राँची की सहायता करेगी ।

(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, अनुसंधान, जे०एफ०एम० तथा अनुश्रवण

(प) राज्य में कार्य नियोजना, अनुसंधान तथा जे०एफ०एम० माइक्रोप्लान सृजन तथा अनुश्रवण से संबंधित कार्य इनके नियंत्रण में सम्पादित किये जाएगें।

(पप) विभाग में योजना/गैर–योजना क्रियान्वयन से संबंधित आन्तरिक अनुश्रवण इनके नियंत्रण में सम्पादित होगा ।

(पपप) योजना में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड तथा गैर योजना में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक तथा मानव संसाधन विकास, झारखण्ड से प्राप्त निधि का आवंटन इनके द्वारा अपने अधीनस्थ संबंधित मुख्य वन संरक्षक को किया जाएगा ।

(पअ) राज्य में खनिज कार्यो हेतु वन भूमि आयोजन (क्पअपेपवद) से संबंधित कैम्पा–निधि का उपयोग तथा इससे संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन इनके नियंत्रण में होगा । इस निधि से संबंधित योजनाओं का सूत्रण, भारत सरकार को प्रेषण तथा स्वीकृत्योदश प्राप्त करना इनका दायित्व होगा ।

(अ) बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष होगें और इनका मुख्यालय राँची होगा ।

(अप) इनके अधीन निम्न स्थापनायें कार्यरत होंगी :–

(क) मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन एवं अनुश्रवण, झारखण्ड, राँची–

(प) राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित माइक्रोप्लान क्रियान्वयन का अनुश्रवण इसके नियंत्रण मे किया जायेगा ।

(पप) राज्य में योजना एवं गैर–योजना से जो विकास कार्य कराये जायेंगे, उनका स्वतंत्र निरीक्षण एवं अनुश्रवण इनके द्वारा किया जाएगा जिसके लिए निम्न वर्तमान स्थापनायें इनके अधीन कार्य करेंगी :–

(अ) वन संरक्षक, समाजिक वानिकी, योजना, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, राँची– इसका कार्य क्षेत्र पूरा राज्य होगा और इसकी वर्तमान स्थापना यथावत् रहेगी । राज्य में योजना एवं गैर–योजना से जो विकास कार्य कराये जाएगें, उनका स्वतंत्र निरीक्षण एवं अनुश्रवण करगें । इनके नियंत्रण में निम्न दो स्थापनायें कार्य करेंगी :–

(प) **वन प्रमंडल पदाधिकारी, जनजातीय प्रकोष्ठ, राँची :–** राज्य के जनजातीय क्षेत्र में योजना एवं गैर योजना से संपादित होनेवाले कार्यो का स्वतंत्र अनुश्रवण इनके द्वारा किया जाएगा ।

(पप) **वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, योजना एवं अनुश्रवण राँची :–** राज्य के गैर जनजातीय क्षेत्र में योजना एवं गैर–योजना से सम्पादित होनेवाले कार्यो का स्वतंत्र अनुश्रवण इनके द्वारा किया जाएगा । इस स्थापना की वर्तमान संरचना यथावत रहेगी ।

(ख) **मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना एवं अनुसंधान, झारखण्ड, राँची :–**

(प) राज्य में वन कार्य नियोजनाओं का निर्माण तथा पुनरीक्षण, माइक्रोप्लान का निर्माण, वन सीमा स्तम्भों का सुदृढ़ीकरण तथा सिल्वीकल्चरणल कार्य इनके नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य नियोजना पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाएगें । वन कार्य नियोजना पदाधिकारियों द्वारा वन अतिक्रमण की सूचना संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडलो को दी जाएगीा ।

(पप) वन कार्य नियोजना पदाधिकारियों का कार्यालय क्षेत्रीय डाटा संग्रहण केन्द्र के रुप में कार्य करेगा ।

(पपप) बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष होंगे तथा इनका मुख्यालय, राँची होगा ।

(पअ) इनके अधीन निम्न स्थापनायें कार्यरत होंगी :–

(प) वन संरक्षक, अनुसंधान, राँची :– यह नया पद है । इनका कार्यक्षेत्र पूरा झारखण्ड तथा मुख्यालय राँची होगा ।

(पप) इस पद की अधीनस्थ कार्यालय स्थापना इस अधिसूचना के अनुलग्नक–1 में विहित हैं ।

(पपप) वन संरक्षक एवं राज्य वनवृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची :– यह पद वर्तमान वन अनुसंधान पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची के पद को अस्थायी रुप से उत्क्रमित करके सृजित किया गया है । इस पद की कार्य प्रकृति, अधीनस्थ स्थापना तथा कार्य क्षेत्र वही रहेगा । जो वर्तमान में वन अनुसंधान पदाधिकारी, झारखण्ड राँची की है । इस स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय–प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे ।

(पअ) वन संरक्षक, वृक्षारोपण अनुसंधान तथा मूल्यांकन, झारखण्ड, राँचीः– यह पद वर्तमान वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध एवं मूल्यांकन प्रमंडल, राँची के पद को अस्थायी रुप से उत्क्रमित करके सृजित किया गया है । इस पद की कार्य प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र वही रहेगा जो वर्तमान में वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध एवं मूल्यांकन प्रमंडल, राँची का है । इसकी अधीनस्थ स्थापना इस अधिसूचना के अनुलग्नक–1 में विहित अतिरिक्त दल के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध एवं मूल्यांकन प्रमंडल, राँची की वर्तमान अधीनस्थ स्थापना होगी । इस स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय–प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होगें ।

(पअ) वन संरक्षक, वन साधन सर्वेक्षण, झारखण्ड, राँची :– यह पद वर्तमान वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन साधन सर्वेक्षण प्रमंडल, झारखण्ड, राँची को अस्थायी रुप से उत्क्रमित कर सृजित किया गया है । इस पद की कार्य प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र वही रहेगा जो वर्तमान में वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन साधन सर्वेक्षण प्रमंडल, झारखण्ड, राँची का है । इसकी अधीनस्थ स्थापना इस अधिसूचना के अनुलग्नक–1 में विहित अतिरिक्त दल के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन साधन सर्वेक्षण प्रमंडल, झारखण्ड, राँची की अधीनस्थ वर्तमान स्थापना होगी । इस स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय–प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगें ।

(अ) **वन संरक्षक, कार्य नियोजना, राँची :–**

(प) यह पद वर्तमान में कार्यरत वन संरक्षक, कार्य नियोजना एवं शोध अंचल, राँची को पुनर्नामांकित करके बनाया गया है । इस पुनर्नामांकित पद की अधीनस्थ कार्यालय स्थापना वही रहेगी जो वर्तमान में वन सरंक्षक, कार्य नियोजना एंव

शोध अंचल, राँची की है । इसके अतिरिक्त इनको वह अधीनस्थ स्थापना उपलब्ध कराई जाएगी जैसा की इस अधिसूचना के अनुलग्नक– 1 में विहित है ।

(पप) ये वन विभाग के राँची रीजन एवं दुमका रीजन में अवस्थित वन प्रमंडलो के कार्य नियोजना पदाधिकारी होंगे ।

(पपप) वन मुख्यालय, राँची में अवस्थित जी०आई०एस० सेल इनके अधीन कार्य करेगा ।

(पअ) **वन संरक्षक, कार्य नियोजना, चाईबासा :–**

(प) यह पद वर्तमान में कार्यरत वन कार्य नियोजना पदाधिकारी, दक्षिणी अंचल, चाईबासा को अस्थायी रुप से उत्क्रमित करके सृजित किया गया है । इस उत्क्रमित पद की अधीनस्थ स्थापना वही रहेगी जो वर्तमान में कार्यरत वन कार्य नियोजना पदाधिकारी, दक्षिणी अंचल, चाईबासा की है । साथ में इन्हें वह अतिरिक्त अधीनस्थ स्थापना उपलब्ध कराई जाएगी जो इस अधिसूचना के अनुलग्नक–1 में विहित है । इस स्थापना के निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय– प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होगें ।

(पप) ये वन विभाग के सिंहभूम रीजन में अवस्थित वन प्रमंडलों के कार्य नियोजना पदाधिकारी होंगे ।

(पपप) **वन संरक्षक, कार्य नियोजना, डाल्टेनगंज :–**

(प) यह पद वर्तमान में कार्यरत वन कार्य नियाजना पदाधिकारी, पश्चिमी अंचल, डाल्टेनगंज को अस्थायी रुप से उत्क्रमित करके सृजित किया गया है । इस उत्क्रकित पद की अधीनस्थ स्थापना वहीं रहेगी जो वर्तमान में कार्यरत वन कार्य नियोजना पदाधिकारी, पश्चिमी अंचल, डाल्टेनगंज की हैं । साथ में इन्हें वह अतिरिक्त अधीनस्थ स्थाापना उपलब्ध कराई जाएगी जो इस अधिसूचना के अनुलग्नक–1 में विहित है । इस स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय–प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे ।

(पप) ये वन विभाग के पलामू रीजन में उवस्थित वन प्रमंडलों के कार्य नियोजना पदाधिकारी होंगे ।

(पपप) **वन संरक्षक, कार्य नियोजना, हजारीबाग :–**

(प) यह पद वर्तमान में कार्यरत वन कार्य नियोजना पदाधिकारी, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग को अस्थायी रुप से उत्क्रमित करके सृजित किया गया है । इस उत्क्रमित पद की अधीनस्थ स्थापना वहीं रहेगी जो वर्तमान में कार्यरत वन कार्य नियोजना पदाधिकारी, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग की है । साथ में इन्हें वह अतिरिक्त अधीनस्थ स्थापना उपलब्ध कराई जाएगी जो इस अधिसूचना के अनुलग्नक–1 में विहित है । इस स्थापना के निवासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय–प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होगें ।

(पप) ये वन विभाग के पलामू रीजन में अवस्थित वन प्रमंडलो के कार्य नियोजना पदाधिकारी होंगे ।

(6) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक तथा मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची :–

(प) विभाग में गैर योजना बजट का सूत्रण, सरकार को प्रेषण तथा वहॉ से आवंटन प्राप्त करना एवं सभी कार्यालयों को उप–आवंटन करना इनका दायित्व होगा ।

(पप) विभाग में स्थापना से संबंधित वैयक्तिक मामलों, अनुशासन, अपील एवं वाद संबंधित विषयों का निपटारा करेगें एवं कार्मिक/स्थापना संबंधी सभी रिट याचिकाओं/न्यायादेशों केक अनुपालन कराने के लिये जिम्मेवार होंगे । इस कार्य में अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित विषयों का निपटारा इनके स्तर से अंतिम रुप से किया जाएगा तथा इस कार्य के लिए इनकी शक्तियाँ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के समकक्ष होंगी ।

राजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों या उनके समकक्ष पदाधिकारियों / कर्मचारियों से संबंधित विषयों का निपटारा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त करके करेंगे ।

(पपप) विभाग के सभी संवर्गो का संवर्ग–प्रबंधन इनके द्वारा किया जाएगा ।

(पअ) उपर्युक्त कार्यों का संपादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड की अधिनस्थ कार्यालय स्थापना की सहायता से किया जाएगा । साथ में इनके नियंत्रण में वह अतिरिक्त अधिनस्थ कार्यालय स्थापना कार्यरत होगी जो इस अधिसूचना के अनु०–1 में विहित है ।

(अ) विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करेगें, प्रशिक्षण कोर्स को डिजाईन करेंगे तथा इससे संबंधित योजनाओं का सूत्रण करके उन्हें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को उपलब्ध करायेंगे ताकि उन्हें योजना बजट में सम्मिलित कर क्रियान्वित किया जा सके ।

(अप) मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन इनके नियंत्रण में होगा ।

(अप) बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के अंतर्गत विभागाध्यक्षा होंगे और इनका मुख्यालय राँची होगा ।

(अपप) **इनके अधीन निम्न स्थापनायें कार्यरत होंगी :–**

(क) वन संरक्षक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास :– यह नया पद है जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक तथा मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची के अधीन कार्यरत होगा । इस पद की अधीनस्थ कार्यालय स्थापना इस अधिसूचना की अनु०–1 में विहित है । निम्न पद इसके अधीन कार्यरत होगा :–

(प) (ख) उप वन संरक्षक, वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना स्थपित रहेगा ।

(ख) वन संरक्षक, तथा निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग :– यह पद वर्तमान में कार्यरत निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग को अस्थायी रुप से उत्क्रमित करके सृजित किया गया है । इस उत्क्रमित पद की कार्य प्रकृति तथा कार्य वही रहेगा जो वर्तमान में निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग का है । इसकी अधीनस्थ स्थापना इस अनुलग्नक–5 में विहित अतिरिक्त दल के साथ वर्तमान निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग की अधीनस्थ स्थापना होगी । इस स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय–प्रधान, वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे ।

(7) क्षेंत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन, राँची ।

(प) इनके कार्य एवं दायित्व वही रहेंगे, जो इनकी वर्तमान में प्रत्यायोजित है ।

(पप) इनके अधीन निम्न अंचल तथा उनके अधीन निम्न प्रमंडल कार्यरत होंगे–

(अ) वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, राँची :–

(प) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) वनरोपण प्रमंडल, राँची :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) सामाजिक वानिकी प्रमंउल, सिमडेगा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(ब) **प्रादेशिक अंचल, राँची :–**

(प) गुमला वन प्रमंडल, गुमला :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं सरंचना यथावत रहेगा ।

(पप) राँची पश्चिमी वन प्रमंडल, लोहरदगा :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं सरंचना यथावत रहेगा ।

(स) **राजकीय व्यापार अंचल, राँची ।**

(प) सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) खूँटी वन प्रमंडल खूँटी :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) राजकीय व्यापार प्रमंडल, गुमला :— राजकीय व्यापार से संबंधित सभी कार्यों के लिये इसका कार्यक्षेत्र राँची रीजन रहेगा । इसकी वर्तमान अधीनस्थ स्थापना यथावत रहेगी ।

(8) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू रीजन, डाल्टेनगंज :—

(प) इनके कार्य एवं दायित्व वही रहेंगे, जो इनको वर्तमान में प्रत्यायोजित हैं।

(पप) इनके अधीन निम्न अंचल तथा उनके अधीन निम्न प्रमंडल कार्यरत होगें :—

(अ) **वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, पलामू, डाल्टेनगंज :—**

(प) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) पलामू वनरोपण प्रमंडल, डाल्टेनगंज :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) सामाजिक वानिककी प्रमंडल, गढ़वा :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(ब) **पश्चिमी अंचल, डाल्टेनगंज :—**

(प) गढ़वा उतरी वन प्रमंडल, गढ़वा :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) डाल्टेनगंज उतरी वन प्रमंडल, डाल्टेनगंज :— इसका वर्तमानस कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(स) **राजकीय व्यापार अंचल, पलामू, डाल्टेनगंज :—**

(प) लातेहार प्रादेशिक वन प्रमंडल, लातेहार :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) राजकीय व्यापार प्रमंडल, लातेहार — 2 :— राजकीय व्यापार से संबंधित सभी कार्यो के लिये इसका कार्यक्षेत्र पलामू रीजन का रहेगा । इसकी वर्तमान अधीनस्थ स्थापना यथावत रहेगी ।

(9) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना रीजन, दुमका :—

(प) इनके कार्य एवं दायित्व वही रहेंगे, जो इनकी वर्तमान में प्रत्यायोजित हैं ।

(पप) इनके अधीन निम्न अंचल तथा उनके अधीन निम्न प्रमंडल कार्यरत होंगे ।

(अ) **दुमका अंचल, दुमका :—**

(प) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) दुमका वन प्रमंडल, दुमका :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़ :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पअ) गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा :— इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं सरंचना यथावत रहेगा ।

(अ) **साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज :—**

(क) वर्तमान सामाजिक वानिकी प्रमंडल, साहेबगंज को साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज के रुप में पुनर्नामांकित किया जाता है ।

(ख) इसका कार्यक्षेत्र एवं संरचना वही रहेगा जो वर्तमान में सामाजिक वानिकी प्रमंडल, साहेबगंज का है ।

(ग) संथाल परगना अंचल, देवघर :–

(प) **देवघर वन प्रमंडल, देवघर :–**

(क) वर्तमान अजय भू–संरक्षण प्रमंडल, देवघर को देवघर वन प्रमंडल, देवघर के रुप में पुनर्नामांकित किया जाता है ।

(ख) इसका कार्यक्षेत्र एवं संरचना वही रहेगा जो वर्तमान में अजय भू–संरक्षण प्रमंडल, देवघर का है ।

(पप) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पअ) गिरिडीह प्रादेशिक वन प्रमंडल, गिरिडीह :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(10) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, रीजन, जमशेदपुर :–

(प) इनके कार्य एवं दायित्व वही रहेंगे, जो इनकी वर्तमान में प्रत्यायोजित है ।

(पप) इनके अधीन निम्न अंचल तथा उनके अधीन निम्न प्रमंडल कार्यरत होगें :–

(अ) वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, जमशेदपुर :–

(प) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) सिंहभूम वनरोपण प्रमंडल, चाईबासा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(ब) **दक्षिणी अंचल, चाईबासा :–**

(प) सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पअ) चाईबासा दक्षिणी वन प्रमंडल, चाईबासा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(स) **सिंहभूम राजकीय व्यापार अंचल, जमशेदपुर :–**

(प) सारण्डा राजकीय व्यापायर प्रमंडल, चाईबासा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) राजकीय व्यापार प्रमंडल, चाईबासा – 2 :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) चाईबासा उतरी वन प्रमंडल, सरायकेला :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पअ) धालभूम वन प्रमंडल, जमशेदपुर :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(11) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग :–

(प) इनके कार्य एवं दायित्व वही रहेंगे, जो इनको वर्तमान में प्रत्यायोजित हैं ।

(पप) इनके अधीन निम्न अंचल तथा उनके अधीन निम्न प्रमंडल कार्यरत होंगे :–

(अ) वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, हजारीबाग :– वर्तमान में कार्यरत वन संरक्षक विभागीय कार्य अंचल, हजारीबाग के पद को पुनर्नामांकित करते हुए वन संरक्षक, वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी अंचल, हजारीबाग किया जाता है । इसकी कार्यालय स्थापना वही रहेगी जो वर्तमान में कार्यरत वन संरक्षक, विभागीय कार्य अंचल, हजारीबाग की है । इसका मुख्यालय हजारीबाग रहेगा तथा इसके अधीन निम्न प्रमंडल होंगे :–

(प) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) वनरोपण प्रमंडल, हजारीबाग :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पअ) वनरोपण प्रमंडल, चतरा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(ब) **हजारीबाग अंचल, हजारीबाग :–**

(प) चतरा उतरी वन प्रमंडल, चतरा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग :– इसका कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पअ) हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग :– इसका कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(अ) राजकीय व्यापार प्रमंडल, हजारीबाग पश्चिमी, हजारीबाग :– राजकीय व्यापार से संबंधित सभी कार्यो के लिये इसका कार्यक्षेत्र हजारीबाग एवं संथाल परगना रीजन रहेगा । इसकी वर्तमान अधीनस्थ स्थापना यथावत रहेगी ।

(द) बोकारो अंचल, बोकारो :– यह नया अंचल है । इसकी अधीनस्थ कार्यालय स्थापना वह होगी जो इस अधिसूचना के अनुलग्नक–5 में विहित है । इसका मुख्यालय बोकारो होगा तथा इसके अधीन निम्न प्रमंडल होंगे ।

(प) बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पप) धनबाद वन प्रमंडल धनबाद :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पपप) रामगढ़ वन प्रमंडल, धनबाद :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(पअ) हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग :– इसका वर्तमान कार्यक्षेत्र एवं संरचना यथावत रहेगा ।

(12) मुख्य वन संरक्षक, विश्व बैंक, झारखण्ड, राँची :–

विश्व बैक सम्पोषित झारखण्ड सहभागी वानिकी परियोजना के लिये गठित पी०सी०यू० यथावत रुप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के अधीन कार्यरता होगा ।

टिप्पणी :– भारतीय वन सेवा झारखण्ड संवर्ग के इस पुनरीक्षण के फलस्वरुप इस सेवा के अब कल–41 गैर संवर्गीय पद राज्य में विद्यमान है जिनकी सूची अनुलग्नक–3 पर संलग्न है । साथ ही इस पुनरीक्षण के प्रसंग में विभिन्न पदों तथा उनके अधीनस्थ स्थापना के समायोजन की सूची अनुलग्नक –1 एवं 2 पर संलग्न है । अधीनसी स्थापना का यह समायोजना उसक वर्तमान स्टेट्स में होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह/०–सुबास चन्द्र सिन्हा,
सरकार के उप सचिव ।

पत्रांकः– **दिनांक :–**

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड सरकार को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंेक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह/०–सुबास चन्द्र सिन्हा,
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– भा०व०से० स्था–1/2005–1877 व०प०, राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि–श्री आलोक टंडन, निदेशक सेवाएँ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली/ श्री जी० देवनानी, अवर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०पी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार/ महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/डोरण्डा, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सुक्षाव चन्द्र सिन्हा
सरकार के उप सचिव